रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972/पौष 11, 1893

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st January 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 71 March 72. Amendment No. 51).*

No. 1-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol II) for the period April 1971-March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71 dated 30th April 1971.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

	Page No. of the Red Book (Vol II.)	Reference	Amendments.
1	84	A. 45 Col. 4	The existing entry (c) may be amended to read as under :— "(c) Dies above 19mm diameter and /or in special section and Tungsten Carbide Pellets (10%)
2	102	A. 74.3 Col. 4	The description of the item (p) may be amended to read as under:— "(p) "Magnetic Core for current Transformers"
3	107	A. 75.8 Col. 5	The existing remark may be amended to read as under:— "(1) Import of DOP may be allowed only against ex PVC sheathed Cables upto 10 per cent of the f of the licence.
4	161	B. 36. 2 Col. 4	The existing entry (a) may be substituted by the fol "(a) Tissue paper, white and coloured (50%)".
5	170	B. 56. 5 Col. 2	The existing description may be amended to read as i "Decorative wooden p cture frame sticks/fram
6	216	D 1·4 Col.4	The existing entry (n) may be amended to read as under:— "(n) As at (i) in Col. 4 against S. No. D. 1·3 but w· value limit of 30%
7	217	D. 2·1 Col. 5	The figures "25%" appearing twice in remark (3) may be amende to read as "50%".
8	219	D. 2·2 Col.4	The existing entry (ae) may be amended as under:— "(ae) Readymade Leather Goods Dressings".

Note.—The amendments at No. 4,6, 7 and 8 of paragraph 2 will be applicable for the exports made on or after 1st May 1971.

3. The existing entry "Decorative wooden picture frames....B.56.5" appearting at page lvi of the Index may be amended to read as "Decorative wooden picture frame sticks/frames....B.56.5".

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

विषय : अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 51)

सं० 1—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 .—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44—आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 30—4—71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च

1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैंडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जायें :—

रैंडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1. 84	ए० 45 कालम–4	वर्तमान प्रविष्टि (सी) को संशोधित कर नीचे निर्दिष्टानुसार पढ़ा जाये :— "(सी) 19 एम एम से अधिक व्यास वाले और/अथवा विशेष कटाईमें ठोपे तथा टंगस्टन कार्बाइड पेंट्स (10 प्रतिशत)."
2. 102	ए० 74.3 कालम–4	मद (पी) के विवरण को संशोधित कर नीचे निर्दिष्टानुसार पढ़ा जाये :— "(पी) करेन्ट ट्रान्सफोर्मर्स के लिए चुम्बकीय कोर."
3. 107	ए० 75.8 कालम–5	वर्तमान टिप्पणी को संशोधित कर नीचे निर्दिष्टानुसार पढ़ा जाये :— "(1) केवल पीवीसी शीथ्ड केबल्स के निर्यात के विपरीत लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक के लिए डीओपी के आयात की स्वीकृति दी जा सकती है."
4. 161	बी० 36.2 कालम–4	वर्तमान प्रविष्टि (ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :— "(ए) टिश्यू कागज, सफेद तथा रंगीन (50 प्रतिशत)."
5. 170	बी० 56.5 कालम–2	वर्तमान विवरण को संशोधित कर नीचे निर्दिष्टानुसार पढ़ा जाये :— "सजावटी काष्ठ निर्मित तस्वीर फ्रेम स्टिक्स/फ्रेम्स."
6. 216	डी० 1.4 कालम–4	वर्तमान प्रविष्टि (एन) को संशोधित कर नीचे निर्दिष्टानुसार पढ़ा जाये :— "(एन) क्रम संख्या डी० 1.3 के सामने कालम 4 में (1) पर जैसे है किन्तु 30 प्रतिशत की अंकित मूल्य सीमा के साथ."

	1	2	3
7.	217	डी० 2.1] ———— कालम–5	टिप्पणी (3) में दो बार दिखाये गये अंक 25 प्रतिशत को संशोधित कर "50 प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाये ।
8.	219	डी० 2.2] ———— कालम–4	वर्तमान प्रविष्टि (एई) को नीचे निर्दिष्टानुसार संशोधित किया जाये :— "(एई) चमड़े की तैयार ड्रैसिंग्स ।"

टिप्पणी : कंडिका 2 की संख्या 4, 6, 7 तथा 8 पर दिखाये गये संशोधन 1–5–1971 को अथवा उसके बाद के किये गये निर्यातों के लिए लागू होंगे ।

3. सूचक के पृष्ठ 56 में दिखाई गई वर्तमान प्रविष्टि "सजावटी काष्ठ निर्मित तस्वीर फ्रेम . . . बी० 56.5" को संशोधित कर "सजावटी काष्ठ तस्वीर फ्रेम स्टिक्स/फ्रेम के रूप में पढ़ें ।"

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972